555

संख्या– —— /XXXVI(1)/2014–512/2007

प्रेषक,

मनीष मिश्र,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 07 मार्च, 2014

**विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6555/UHC/Admin.A/2013 दिनांक 23.11.2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु राज्य में गठित वेतन विसंगति समिति के 20वें प्रतिवेदन के क्रम में वित्त विभाग के पत्र सं0–722/XXVII(7) 40(20)/2013 दिनांक 20.09.2013 द्वारा संसूचित की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समीक्षा अधिकारियों की समकक्षता राज्य सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों से होने के कारण दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सामान्य पुनरीक्षण के अन्तर्गत पूर्व से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 में देय ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर संशोधनोपरान्त दिनांक 01.01.2006 से वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्मिक द्वारा संशोधन विकल्प दिया जा सकेगा और वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रक्रिया विषयक शासनादेश सं0–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 (यथासंशोधित) और तत्क्रम में अग्रेत्तर शासनादेश सं0–27/XXVII(7) (स्प0–1)2009 दिनांक 13.02.2009 एवं सं0–397/XXVII(7)30(1)/2008 दिनांक 11.09.2013 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत सुसंगत फिटमेंट तालिका, जो शासनादेश सं0–732/XXVII(7)40(2)/2010 दिनांक 25.09.2013 द्वारा निर्गत की गई है, के अनुसार किया जायेगा।

क्रमश.........2

3– उक्तानुसार संशोधित वेतन निर्धारण के पश्चात माह जनवरी 2014 तक के वेतन भत्ते का अवशेष पूर्व में भुगतानित धनराशि का समायोजन करते हुए और नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला हो, तो देय अवशेष का भुगतान उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में दिया जायेगा अथवा उनके लोक निर्वाह निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय संगत आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–04 के अधीन लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–00–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00–02 मजदूरी" के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–145/XXVII(7)/2014 दिनांक 28.02.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव

संख्या– 660(1) / XXXVI(1) / 2014–512 / 2007

**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल / एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव